छत्तीसगढ़ शासन

तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित

विश्वविद्यालयीन तथा

निजी संस्थाओं में संचालित

एम.सी.ए. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु नियम/प्रक्रिया सत्र

2016–2017

तकनीकी शिक्षा संचालनालय
तृतीय खण्ड, तृतीय/चतुर्थ मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष 0771-2221376, फेक्स 0771-2331331
website-www.cgdteraipur.ac.in

महत्वपूर्ण निर्देश

- अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता प्री.एम.सी.ए. परीक्षा का फार्म भरते समय नहीं होती है। इन दस्तावेजों की मूल प्रति की आवश्यकता दस्तावेज परीक्षण के समय होती है अतः दस्तावेज परीक्षण के पूर्व ही निम्नानुसार दस्तावेजों को सक्षम अधिकारी से बनवाकर रख लें ताकि दस्तावेज परीक्षण के समय असुविधा न हो :-
  1. छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र
  2. स्थायी जाति प्रमाणपत्र (अस्थायी स्वीकार्य नहीं)
  3. दसवीं की अंकसूची (जन्म तिथि प्रमाण हेतु)
  4. स्नातक उत्तीर्ण होने की अंकसूची
  5. निःशक्तता से बाधित होने संबंधी प्रमाणपत्र -
     (1) संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड एवं
     (2) अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दाना गोदाम मोटर स्टेन्ड, नेपियर टाउन जबलपुर, (दूरभाष 0761-2405581) द्वारा जारी हो।

  (उपरोक्त दोनो अधिकारियों से जारी निःशक्तजन होने संबंधी प्रमाणपत्र- संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड एवं अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन प्रमाण पत्र आवश्यक है) ।
- काउंसिलिंग कार्यक्रम एवं रिक्त सीटों की अद्यतन जानकारी हेतु संचालनालय तकनीकी शिक्षा की अधिकृत वेबसाइट. www.info@cgdteraipur.ac.in का अवलोकन करते रहें ।
- काउंसिलिंग सामान्यतया जून-जुलाई माह में होती है परंतु इसमें परिवर्तन हो सकता है । कृपया समाचार पत्रों का नियमित अवलोकन करते रहें, **इसके लिये कॉल लेटर नहीं भेजा जायेगा ।**
- प्री.एम.सी.ए. फार्म भरने से पूर्व इस पुस्तिका का अध्ययन ठीक से अवश्य कर लें एवं यह सुनिश्चित कर लें कि आप प्रवेश हेतु पात्र हैं। केवल प्रवेश परीक्षा में बैठने मात्र से प्रवेश की पात्रता नहीं बन जाती।

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
::- मंत्रालय -::

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 9-15/ /तक.शि./42 दिनांक / / 2016

छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008'' के सेक्शन 3(6) के प्रावधान के अनुसार निजी संस्थाओं में संचालित एम.सी.ए. पाठ्यक्रम (Master of Computer Application) में प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर होंगे । सत्र 2016-17 के लिये इन संस्थाओं में प्रवेश के लिये सी जी प्री-एम.सी.ए. परीक्षा (C.G. Pre-MCA Test) एवं निमसेट National Institute of Technology MCA Common Entrance Test (NIMCET), को सामान्य प्रवेश परीक्षा के रूप में मान्य किया जाता है ।

प्री - एम.सी.ए. टेस्ट - 2016 के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में संचालित एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में भी प्रवेश होंगे ।

प्री - एम.सी.ए. टेस्ट का आयोजन छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा किया जाता है, जबकि निमसेट (NIMCET) का आयोजन NITs द्वारा किया जाता हैं। एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये प्री-एम.सी.ए. टेस्ट एवं निमसेट (NIMCET) - 2016 में सम्मिलित होना (जम्मू एवं कश्मीर के विस्थापितों को छोड़कर) अनिवार्य है। प्रवेश के संबंध में निम्नानुसार नियम/प्रक्रिया निर्धारित किये जाते हैं :

2.1 **संक्षिप्त नाम :-** ये नियम 'एम.सी.ए.' पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2016 कहलायेंगे । इन नियमों को एतस्मिन पश्चात 'प्रवेश नियम' कहा गया है ।

2.2 **विस्तार :-** ये नियम उन अभ्यर्थियों पर लागू होंगे जो :

एम.सी.ए. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में राज्य के शासकीय संस्था, शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में तथा निजी क्षेत्र की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से अनुमोदित संस्थाओं में प्रवेश के इच्छुक हैं तथा राज्य में स्थित उन सभी संस्थाओं पर लागू होंगे जो इन पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिये एआईसीटीई से अनुमोदित है ।

2.3 **परिभाषायें :-**

इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा :-

1. **'प्रवर्ग'(Category)** का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति प्रवर्ग (SC- Scheduled Caste), अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (ST- Scheduled Tribe) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC- Other Backward Class) (क्रीमीलेयर को छोड़कर), जो इन तीनों प्रवर्ग में नहीं आता उसे अनारक्षित प्रवर्ग (UR- Un Reserved) माना जायेगा ।
2. **'व्यापम'** का तात्पर्य है 'छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल' छत्तीसगढ़ रायपुर ।
3. **'सक्षम प्राधिकारी'** (स.प्रा.) का तात्पर्य है ऐसा अधिकारी जिसे राज्य शासन द्वारा काउंसिलिंग कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है ।
4. **'प्राचार्य'** का तात्पर्य है संस्था प्रमुख अथवा प्रभारी।
5. **'छत्तीसगढ़'** का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ राज्य जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01.11.2000 को अस्तित्व में आया ।
6. **'अभातशिप'** का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली ।
7. **'संचालक'** का तात्पर्य है संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. **'अभ्यर्थी'** या **'उम्मीदवार'** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है।
9. **'वर्ग'(Class)** से अभिप्रेत है 'सैनिक वर्ग', 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग' एवं *'निःशक्तता से बाधितवर्ग' में से कोई एक* जो उपरोक्त किसी भी वर्ग में नहीं आता उसे 'बिना वर्ग' माना जायेगा।
10. **'प्री - एम.सी.ए. टेस्ट'** का तात्पर्य है छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आपसी मेरिट के निर्धारण हेतु ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा।
11. **निमसेट (NIMCET)** का तात्पर्य है NITs द्वारा एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आपसी मेरिट के निर्धारण हेतु ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा।

2.4 (अ) प्रवेश हेतु कोटा का निर्धारण एवं सीटों का आबंटन – विभिन्न संस्थाओं की सीटों को निम्नानुसार 03 प्रकार के कोटा में विभाजित किया गया है :

विवरण	CGQ	OSQ	MQ
निजी संस्थायें	75	10	15
शासकीय संस्था	100	NIL	NIL
शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थायें	100	NIL	NIL

(1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (C.G. Quota) :- इस कोटा के अंतर्गत केवल छ.ग. के मूल निवासी छात्र प्रवेश के पात्र होंगे। तथापि छ.ग. राज्य के मूल निवासी उपलब्ध न होने पर इसे आवश्यकतानुसार अन्य राज्य कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है । इस कोटे पर प्रवेश प्री-एम.सी.ए. - 2016 की मेरिट के आधार पर होंगे एवं प्रवेश की कार्यवाही केन्द्रीय काउंसिलिंग द्वारा संचालनालय द्वारा की जायेगी ।

(2) अन्य राज्य कोटा (Other State Quota) :- इस कोटे के अंतर्गत केवल अन्य राज्य के अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे। तथापि अन्य राज्य के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इसे आवश्यकतानुसार छ.ग. राज्य कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है । इस कोटे पर प्रवेश निमसेट (NIMCET) 2016 के मेरिट की आधार पर होंगे । प्रवेश की कार्यवाही केन्द्रीय काउंसिलिंग द्वारा संचालनालय द्वारा की जायेगी।

(3) **मेनेजमेंट कोटा (Mngt. Quota)** :- इस कोटे के अंतर्गत छ.ग. राज्य के साथ ही साथ अन्य राज्य के छात्र भी प्रवेश हेतु पात्र हैं । इस कोटे पर प्रवेश प्री–एम.सी.ए.–2016 अथवा निमसेट (NIMCET) की मेरिट के आधार पर संस्था स्तर पर होंगे । इस कोटे मे भी प्रवेश हेतु नियमानुसार न्यूनतम अर्हताओं का बंधन एवं अन्य नियम लागू रहेगा।

टीपः- 1. निजी संस्थाओं में मेनेजमेंट कोटा की व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक Special Leave to Appeal (Civil) 26436/2012 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

2. कोई संस्था स्वेच्छा से मेनेजमेंट कोटा की समस्त सीटों को छत्तीसगढ़ राज्य कोटा में समर्पण कर सकता है। आंशिक समर्पण मान्य नहीं है। इसके लिए संस्था को काउंसिलिंग प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व आवेदन करना होगा।

आबंटन क्रम

सबसे पहले अन्य राज्यों के अभ्यर्थी का NIMCET 2016 के मेरिट के आधार पर अन्य राज्य कोटा की सीट आबंटन किया जाएगा । सीट बच जाने पर बचे हुई सीटों को छ.ग. कोटा में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

तत्पश्चात छ.ग. के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों का छ.ग. कोटा की सीट प्री–एम.सी.ए.–2016 की मेरिट के आधार पर सीट आबंटन किया जाएगा ।

2.4 **(ब) प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थान–**

1. एम.सी.ए. पाठ्यक्रम की संस्थाएं एवं उनमें प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की जानकारी Table-1 में दर्शाई गई है। Table-2 में शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्था में आरक्षित सीटों की जानकारी दी गई है ।
2. काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये प्रत्येक निजी संस्था को रु. 1000/– प्रति स्वीकृत सीट की दर से कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता अनुसार कॉशन मनी काउंसिलिंग प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व जमा करना अनिवार्य है। किसी संस्था को कॉशन मनी न जमा करने पर अथवा अन्य समुचित कारण/कारणों से केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर रखना, यह छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति का विशेषाधिकार रहेगा । यह काशन मनी संस्थाओं द्वारा छात्रों की फीस संबंधी शिकायत के निराकरण के पश्चात वापसी योग्य है। फीस वापसी संबंधी शिकायतों का निराकरण यदि संस्था द्वारा नहीं किया जाता है, तो जमा काशन मनी से छात्रों को फीस वापस करने की कार्यवाही की जा सकती है।

2.5 सीटों का आरक्षण–

2.5.1 **उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)**

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग प्रवर्गों के लिए–

शासकीय संस्था एवं शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्गों के लिए क्रमशः 12, 32 एवं 14 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण किया गया है। शेष 42 प्रतिशत सीटें अनारक्षित (UR) रहेंगी । इन अनारक्षित सीटों पर मेरिट के आधार पर किसी भी प्रवर्ग का (SC/ST/OBC/GEN) अभ्यर्थी प्रवेश पा सकता है ।

छ.ग. राजपत्र में जारी अधिसूचना क्र. एफ 9-02/2012/तक.शि./42 दिनांक 19 फरवरी 2013 के अनुसार सत्र 2013-14 से निजी संस्थाओं में प्रवेश हेतु भी छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्गों के लिए क्रमशः 12, 32 एवं 14 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण किया गया है। निजी संस्थाओं के छ.ग. राज्य कोटा हेतु उपलब्ध सीटों पर उपरोक्तानुसार आरक्षित सीटों का ब्यौरा काउंसिलिंग के समय दिया जाएगा।

इन अनारक्षित सीटों पर मेरिट के आधार पर किसी भी प्रवर्ग (SC/ST/OBC/GEN) का अभ्यर्थी प्रवेश पा सकता है । यदि किसी SC/ST अथवा OBC प्रवर्ग के छात्र को मेरिट के आधार पर अनारक्षित UR सीट मिलती है तो उसे UR में ही समायोजित किया जायेगा एवं आरक्षित सीट को यथावत रहने दिया जायेगा।

ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय समय पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं/अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित श्रेणी में प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी तथापि मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीट पर प्रवेश की पात्रता रहेगी ।

टिप्पणी -

(अ) विभिन्न आरक्षित प्रवर्गों में से अभ्यर्थी केवल एक ही प्रवर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस प्रवर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

(स) उम्मीदवार द्वारा प्रवर्ग तथा वर्ग में आरक्षण हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के बाद किसी भी स्थिति में उसमें परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

2.5.2 **क्षैतिज आरक्षण** (Horizontal Reservation)

निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये

शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थाओं की सीटों में प्रत्येक प्रवर्ग (SC,ST,OBC,UR) हेतु आरक्षित सीटों एवं अनारक्षित सीटों के विरूद्ध पुनः निःशक्तता से बाधित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा Table-2 में दिया गया है । शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्था में Sainik/FF के लिये किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है । निजी संस्थाओं में Sainik/FF/PWD के लिए क्षैतिज आरक्षण नहीं है।

टिप्पणी- इन स्थानों के विरूद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवारों को जिला चिकित्सा मण्डल तथा अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजनों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नैपियर टाउन जबलपुर, दूरभाष 0761-2405581 द्वारा जारी इस आशय का पात्रता प्रमाण-पत्र कि वह एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपयुक्त है, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। निःशक्तता 40 प्रतिशत या अधिक होने पर ही मान्य होगा । इसलिए पहले से दोनो प्रमाणपत्र अभ्यर्थी बनवा लें । काउंसिलिंग के समय यदि उपर वर्णित दोनो प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो किसी भी स्थिति में समय नहीं दिया जायेगा ।

2.5.3 महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षण- शासकीय विश्वविद्यालयीन संस्थाओं की सीटों में प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी में होरिजोन्टल वर्ग के अंतर्गत महिला उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत सीटों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा ।

किसी भी उर्ध्वाधर या उसके अंतर्गत क्षैतिज वर्ग मे महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस प्रवर्ग की पात्रता के पुरूष उम्मीदवार को प्रवेश दिया जावेगा (किन्तु महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान अन्य प्रवर्ग में समायोजित नहीं किये जावेंगे) । निजी संस्थाओं में महिलाओं हेतु आरक्षण नहीं है।

काउंसिलिंग के समय विभिन्न उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आबंटन का क्रम निम्नानुसार रहेगा

1. **उर्ध्वाधर आरक्षण :-** सबसे पहले अनारक्षित सीटों को भरा जायेगा एवं यदि कोई आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की सीट मिल जाती है तो उसे अनारक्षित की सीट ही दी जायेगी एवं यह सीट आरक्षित श्रेणी से कम नहीं की जायेगी।

2. **क्षैतिज आरक्षण :-** इस प्रक्रिया में सबसे पहले आरक्षित सीट का आबंटन किया जायेगा। जब तक कि क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूरा न हो जाये। तत्पश्चात् बिना वर्ग के अभ्यर्थियों का आबंटन किया जायेगा।

3. **उर्ध्वाधर आरक्षण** के पश्चात् शेष बच गई अनारक्षित सीट के किसी वर्ग विशेष जैसे निःशक्तता से बाधित के लिये आरक्षित सीट को मेरिट के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग जैसे SC/ST/OBC के उसी वर्ग के अभ्यर्थी को पहले आबंटित की जा सकती है।

4. आरक्षित प्रवर्ग के सीटों जो क्षैतिज आरक्षण के कारण निःशक्तता से बाधित के लिये आरक्षित हैं यदि इन वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो इन वर्ग के सीटों को उसी प्रवर्ग के बिना वर्ग के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर आबंटित किया जायेगा । इसे अन्य आरक्षित श्रेणी के आरक्षित वर्ग के लिये समायोजित नहीं किया जायेगा ।

2.5.4. जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग

1 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित व्यक्ति के पुत्र/पुत्रियों के लिये शासकीय संस्थाओं, शासकीय विश्वविद्यालयीन एवं निजी क्षेत्र के संस्थाओं में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त आरक्षित है । इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को संबंधित जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से निर्धारित प्रारूप-7 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा । जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों के पुत्र/पुत्रियों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य नहीं है ।

2 इसी वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी । ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप-8 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

3 किसी संस्था के लिये एक ही तिथि को एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रथमतः छत्तीसगढ़ में विस्थापित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी । तत्पश्चात् अन्य राज्य में विस्थापित को सीट रिक्त रहने पर प्रवेश दिया जा सकेगा । परंतु अलग-अलग तिथि होने पर जो **पहले आओ पहले पाओ** के आधार पर सीट आबंटित किया जायेगा ।

4 जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापितों को जम्मू कश्मीर राज्य के लिये आरक्षित सीटों पर प्रवेश हेतु प्री.एम.सी.ए.-2016 में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश होंगे।

2.6 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्ते-

2.6.1 शैक्षणिक अर्हता-

एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से किसी मान्यता प्राप्त संकाय/विषय में 03 वर्षीय स्नातक उपाधि अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छ.ग. के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तजन के लिये 45 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है 10+2 (12वीं) अथवा स्नातक स्तर पर एक विषय गणित (Mathematics) के रूप से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। काउंसिलिंग (दस्तावेज परीक्षण) की तिथि को अनुत्तीर्ण अथवा पूरक/कम्पार्टमेंट अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी।

गणित से संबंधित गणित के अन्य विषय जैसे :- बिजनेस गणित (Business Mathematics), बेसिक गणित (Basic Mathematics) आदि मान्य नहीं किये जायेंगे। तथापि गणित के उच्च विषय जैसे :- उच्च गणित (Higher Mathematics/Advanced Mathematics) मान्य किये जायेंगे। जो अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.सी.ए. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हैं, उनके लिये गणित विषय की अनिवार्यता से छूट है ।

टीपः- 1. यदि प्रतिशत पूर्णांक में न हो तो 49.5 या उससे उपर को 50 तथा 44.5 को 45 प्रतिशत मान्य किया जायेगा ।

2 अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियम लागू होंगे।

3 दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए दस्तावेज परीक्षण के समय दस्तावेज परीक्षण अधिकारी के समक्ष संबंधित विश्वविद्यालय एवं ऑफ सेन्टर/स्टडी सेन्टर की उच्च शिक्षा अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से मान्यता संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश हेतु मान्य किया जावेगा।

4 पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में संचालित एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए :-
अ. प्रवेश के लिए उम्र सीमा 27 वर्ष एवं आरक्षित वर्ग के लिये छूट के साथ 30 वर्ष है।

2.6.2 छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी होने की आवश्यकता

शासकीय विश्वविद्यालयीन एवं निजी संस्थानों के छ.ग. कोटा सीटों में प्रवेश हेतु चयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी छत्तीसगढ़ राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये निर्देशों के अंतर्गत यथापरिभाषित होगा एवं नीचे अन्यथा वर्णित को छोड़ सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार अथवा वरिष्ठतर अन्य सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा समय-समय पर राज्य शासन के निर्देशों के तहत जारी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र (प्रारूप-3) के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है । इस प्रमाण पत्र में प्रकरण क्रमांक, जारी करने की तिथि व न्यायालय/कार्यालय की सील, जारीकर्ता अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है ।

छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्धशासकीय निकायों तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों के राज्य में या राज्य के बाहर पदस्थ होने पर तथा प्रारूप-4 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी ।

भारत सरकार के कार्मिकों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों एवं केन्द्रीय अर्धशासकीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों के छत्तीसगढ़ राज्य में इन नियमों के तहत आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के पूर्व पदस्थ होने पर तथा प्रारूप-5 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को भी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी ।

भारत शासन/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित पिता/माता के सन्तान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी माने जायेंगे । ऐसे पुनर्व्यवस्थापित पिता/माता की सन्तानों को प्रारूप-6 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अभिभावक की परिभाषा :

अभिभावकों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट) की राय में आवेदक के पिता और माता दोनों की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो । अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हों तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जाएगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी ।

दत्तक संतान के विषय में स्पष्टीकरण :

दत्तक संतानों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में दत्तक संतान के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक संतान होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व निष्पादित वैध दत्तकनामा (ॲडॉप्शन डीड) होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जाएगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा गत पांच वर्षो में आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है । इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये उपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता/माता का नाम ही केवल मान्य होगा । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदको के मामलों में आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद

लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहें हों । ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किन्ही अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होगें ।

2.6.3 आयु सीमा

एम.सी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु दिनांक 01.07.2016 को अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष निर्धारित की जाती है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/निःशक्तजन विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में अधिकतम 03 वर्ष की छूट रहेगी ।

आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेशी सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों पर लागू नहीं होगा ।

टीप- पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए उम्र सीमा 27 वर्ष एवं छूट के साथ 30 वर्ष है।

2.7 प्रवेश हेतु चयन पद्धति -

2.7.1 सामान्य प्रवेश परीक्षा -

अ - प्री.एम.सी.ए. परीक्षा

एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा गणित, कम्प्यूटर अवेयरनेस, एनाटिकल एबेलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग तथा जनरल अवेयरनेस विषय पर एक प्रवेश परीक्षा प्री एम. सी.ए. टेस्ट 2016 आयोजित की जाती है । प्री-एम.सी.ए. में सामान्य प्रवर्ग के लिये कम से कम 10 प्रतिशत तथा आरक्षित प्रवर्ग (SC,ST,OBC,PWD) के लिये 5 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है। इससे कम प्राप्तांक होने पर प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी ।

ब - NIMCET परीक्षा

यह परीक्षा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NITs) द्वारा आयोजित की जाती है। NIMCET में सामान्य वर्ग के लिये कम से कम 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लिये 5 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है । इससे कम प्राप्तांक होने पर प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी ।

टीप : 1. यदि प्रतिशत पूर्णांक में न हो तो 9.5 या उससे उपर को 10 प्रतिशत एवं 4.5 या उससे अधिक को 5 प्रतिशत मान्य किया जायेगा।

2. अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियम लागू होंगे।

2.7.2 मेरिट क्रम का निर्धारण-

प्री-एम.सी.ए. परीक्षा के मामले में अभ्यर्थी द्वारा सामान्य प्रवेश परीक्षा में गणित, कम्प्यूटर अवेयरनेस, एनाटिकल एबेलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग तथा जनरल अवेयरनेस में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर कम्बाईंड मेरिट सूची, प्रवर्गवार मेरिट सूचियां तैयार की जावेगी इन योग्यता क्रम सूचियों से उम्मीदवारों के प्रवेश एम.सी.ए. में काउंसिलिंग द्वारा किये जायेंगे।

मेरिट सूची में उम्मीदवारों का समान प्रतिशत होने पर अधिक प्राप्तांको के आधार पर निम्न क्रमानुसार मेरिट का निर्धारण किया जावेगा -

(1) गणित (2) कम्प्यूटर अवेयरनेस (3) एनाटिकल एबेलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग (4) जनरल अवेयरनेस (5) जन्मतिथि, अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता। उम्र भी यदि समान हो तो स्नातक के कुल प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा।

NIMCET के मामले में जैसा परीक्षा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए।

2.8 आबंटन/प्रवेश प्रक्रिया-

2.8.1 एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के प्री-एम.सी.ए.-2016/NIMCET 2016 के मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश के लिये संस्था आबंटन हेतु कार्य काउंसिलिंग समिति द्वारा केन्द्रीय ऑन लाइन काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।

काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होने के लिए काउंसिलिंग की तिथियां छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। अतः प्री-एम.सी.ए.-2016/NIMCET 2016 का परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात काउंसिलिंग की तिथियों की जानकारी हेतु अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के प्रमुख समाचार पत्रों के अंक प्रतिदिन आवश्यक रूप से देखते रहें । काउंसिलिंग की तिथियों की

जानकारी प्रदेश के सभी एम.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित संस्थाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी तकनीकी शिक्षा संचालनालय की अधिकृत वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in में देखी जा सकती है। इस संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई सूचना/कॉल लेटर नहीं भेजी जायेगी ।

काउंसिलिंग (दस्तावेज परीक्षण) के समय अभ्यर्थी को स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । स्नातक अनुत्तीर्ण या पूरक (कम्पार्टमेंट) के अभ्यर्थी काउंसिलिंग के पात्र नहीं होंगे। तथापि संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार कृपांक से उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे, परंतु ग्रेस के अंक नहीं जोड़ें जाएंगे।

2.8.2 **काउंसिलिंग हेतु निर्धारित फीस** - सभी अभ्यर्थियों को ऑन लाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिये निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क रु. 500/- (रु. पॉच सौ केवल) की राशि जमा करना अनिवार्य है । जमा करने का माध्यम की जानकारी काउंसिलिंग के पूर्व वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in पर दी जायेगी।

2.8.3 **ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रक्रिया :**

1. ऑनलाईन काउंसिलिंग के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी कॉउंसिलिंग से पूर्व वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in में दी जायेगी।

2 दस्तावेज परीक्षण कराना (Document Verification) -

आबंटन से पूर्व आपके दस्तावेजों का परीक्षण होना अनिवार्य है, इसके बिना आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा । दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, पालक को साथ में लाना अनिवार्य नहीं है तथापि यदि आवश्यक हो तो केवल एक पालक साथ में आ सकते हैं । दस्तावेज परीक्षण का कार्य संचालनालय द्वारा निर्धारित दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों में से किसी भी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में कराया जा सकता है । ध्यान रहे कि यदि आपने विकल्प तो भरा है परंतु दस्तावेजों का परीक्षण नहीं कराया है तो आपका प्रकरण आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा क्योंकि क्टब द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म करने के पश्चात् ही आपका विकल्प डाटाबेस में आयेगा (दस्तावेज परीक्षण केन्द्र कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में खुले रहेंगे, केवल दोपहर 1.30 से 2.00 बजे के मध्य भोजनावकाश रहेगा) ।

दस्तावेज परीक्षण के समय भी यदि आपको लगता है कि आपने विकल्प गलत भर दिये हैं अथवा उनके क्रम अलग दे दिये हैं तो दस्तावेज परीक्षण कार्य को ऑनलाईन दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा कन्फर्म करने से पूर्व आप इसमें बदलाव कर सकते हैं । जो अंतिम बदलाव होगा वही मान्य होगा । एक बार दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म कर देने के पश्चात् फिर विकल्प में फेरबदल नहीं हो सकता ।

दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है :-

(सूची में परिवर्तन हो सकता है जिसकी जानकारी वेबसाइट में दी जायेगी)

स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक	स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक
1	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार रायपुर	रायपुर	0771-2421376	12	रामकृष्ण राठौर शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर, पेन्ड्री	जांजगीर	07817-222456
2	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर, मनेन्दगढ़ नाका, अंबिकापुर	सरगुजा	07774-220609	13	किरोड़ीमल शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़, चक्रधर नगर, रायगढ़	रायगढ	07762-222737
3	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर, कोनी, बिलासपुर	बिलासपुर	07752-260289	14	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम, पुराना जिला पंचायत भवन, कबीरधाम	कबीरधाम	07741-232636
4	शासकीय पॉलीटेक्निक, भकरूपुर, नारायणपुर	नारायनपुर	07781200078	15	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरबा, बालको, उरगा, रिंग रोड, कोरबा	कोरबा	07759-659874
5	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर, मेन रोड, तखतपुर	बिलासपुर	07753-264963	16	शासकीय पॉली., महासमुन्द, बी. टी.आई. रोड, महासमुन्द	महासमुन्द	07723-224818
6	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर ,धरमपुरा नं- -2, जगदलपुर	बस्तर	07782-229436	17	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक बायरन बाजार, रायपुर,	रायपुर	0771-2423045
7	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, धरमपुरा नं.-2, जगदलपुर	बस्तर	07782-229230	18	मिनीमाता शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक पेन्ड्री., राजनांदगॉव,	राजनांदगॉव	07744-292955
8	भोपाल राव पवार शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी, रूद्री, धमतरी	धमतरी	07722-237618	19	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़, मेन रोड, खैरागढ़	राजनांदगॉव	07820-234010
9	उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग, जी.ई. रोड, दुर्ग	दुर्ग	0788-2323548	20	शासकीय पॉलीटेक्निक, गरियाबंद	गरियाबंद	07706241303
10	शासकीय पॉलीटेक्निक रामानुज उच्च. मा.शाला भवन, बैकुन्ठपुर	कोरिया	07836232070	21	शासकीय पॉलीटेक्निक पुराना कोर्ट भवन कांकेर	कांकेर	07868222081
11	शासकीय पॉलीटेक्निक ,शास. एन.ई. एस. पी.जी. कालेज केम्पस, जशपुर	जशपुर	07763220051	22	शासकीय पॉलीटेक्निक वेंकटराव कालेज केंपस, बीजापुर	बीजापुर	07853220015

टीप :- 1. यदि आपको किसी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र से कोई शिकायत हो तो इसकी लिखित शिकायत स्वयं उपस्थित होकर संचालनालय में की जा सकती है ।

2. यह हो सकता है कि किसी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या आ रही हो ऐसा होने पर किसी अन्य नजदीकी संस्था में जाकर दस्तावेज परीक्षण कराया जा सकता है।
दस्तावेज परीक्षण हेतु समय सारणी समाचार पत्रों एवं वेबसाइट में यथा समय प्रसारित की जायेगी ।

2 (अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सारे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं आपने उसके एक सेट फोटो कॉपी करा लियें हैं । जो दस्तावेज आपको लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाना है वे निम्नानुसार हैं :-

सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज - सभी प्रमाण पत्रों के मूल (Original) एवं 01 सेट फोटोकॉपी लेकर जाना अनिवार्य है परंतु मूल प्रमाण पत्र DVC में जमा नहीं करना है । केवल दिखाना है एवं वापस प्राप्त करना है । सभी प्रमाण पत्र वापस प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की रहेगी ।

1. कम्प्यूटर से प्रिंट किया गया एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म की प्रति।
2. 10वीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र।
3. 12वीं की अंकसूची, यह जॉच करने के लिये कि 12वीं में गणित विषय है अथवा नहीं।
4. स्नातक की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं) । दस्तावेज परीक्षण के दिन अभ्यर्थी को स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पूरक/अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी का दस्तावेज कन्फर्म नहीं किया जायेगा।
5. प्री-एम.सी.ए.- 2016/NIMCET-2016 की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं) ।

6. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र 04 प्रारूपों (प्रारूप क्रमांक- 5, 6, 7 या 8) में से किसी एक प्रारूप में (च्वाइंस सेंटर से बना निवास प्रमाण पत्र भी मान्य होगा)।
7. रु. 500/- काउंसिलिंग फीस जमा करने के साक्ष्य के रूप में बैंक चालान की संचालनालय की प्रति ।
8. जिन अभ्यर्थियों के एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म में फोटो प्रिंट नहीं हुआ हो उन्हें 02 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर आना है ।

छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित श्रेणियों के लिये अतिरिक्त अनिवार्य दस्तावेज -

9. छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने के लिये स्थायी जाति प्रमाण पत्र (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा)। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक संस्था (प्रवेश एवं आरक्षण) अधिनियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियम लागू होंगे।
10. यदि अभ्यर्थी निःशक्तजन (PWD) है तो निःशक्तजनता प्रमाण पत्र (1) जिला मेडिकल बोर्ड से (2) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु संचालित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर का प्रमाण पत्र।
11. यदि आवेदक बी.पी.एल. परिवार मे आता है तो सक्षम अधिकारी से जारी पालक का बी.पी.एल.कार्ड।

टीप : यदि आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो डाटाबेस में दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका प्रवर्ग (category) SC/ST/OBC को परिवर्तित कर UR कर दी जायेगी एवं आपका आबंटन UR के मेरिट के आधार पर होगा न कि आरक्षित श्रेणी के आधार पर । यदि आपके पास जाति सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं है तो इसे बनाने के लिये प्रवेश तिथि से लेकर 02 माह का समय दिया जायेगा । यदि आप 02 माह के भीतर भी जाति सत्यापन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाये एवं यदि आपका आबंटन आरक्षित श्रेणी में हुआ है तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी। उसी प्रकार यदि आपके पास निःशक्तजन का प्रमाण पत्र नहीं है तो संबंधित वर्ग (class) को NIL में परिवर्तित कर दिया जायेगा एवं तद्नुसार आबंटन होगा ।

2.8.4 **गंभीर बीमारी**:-यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने के कारण नियत तिथि पर उपस्थित रहने में असमर्थ है और वे इस आशय का चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/संबंधित चिकित्सालय के प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाण पत्र से प्राप्त कर प्रस्तुत करते है, तो उनके पिता/अभिभावक जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत यदि दस्तावेजों के प्रवेशित संस्था के स्तर पर सत्यापन के समय यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिए विभाग सक्षम होगा।

2.8.5 प्री.एम.सी.ए. परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यताक्रम सूची में स्थान प्राप्त करेंगे उनकी गणना अनारक्षित प्रवर्ग में की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अनारक्षित प्रवर्ग अथवा संबंधित आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत उपलब्ध संस्था का चयन प्रावीण्यता के आधार पर कर सकेंगे ।

2.8.6 (अ) किसी भी आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत निःशक्तता से बाधित वर्ग (PWD) में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को उसी आरक्षित प्रवर्ग के बिना वर्ग (OP) में परिवर्तित कर भरा जाएगा। परंतु अनारक्षित प्रवर्ग (UR) के अंतर्गत निःशक्तता से बाधित वर्ग (PWD) के लिये आरक्षित सीट को मेरिट के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के आने वाले निःशक्तता से बाधित वर्ग के अभ्यर्थी को भी आबंटन किया जायेगा।

(ब) किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को अन्य प्रवर्ग में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक महाविद्यालय (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप परिवर्तित कर भरा जाएगा।

2.8.7 एक बार अभ्यर्थी काउंसिलिंग के प्रथम/द्वितीय चरण में किसी पाठ्यक्रम/संस्था में आबंटन प्राप्त कर लेता है और काउंसिलिंग के अगले चरण होते हैं तो अभ्यर्थी उसमें भाग ले सकता है परंतु अगले चरण में रजिस्ट्रेशन करने पर उसकी वर्तमान सीट निरस्त हो जायेगी एवं रिक्त सीट में जुड़ जायेगी। यदि संस्था स्तर की काउंसिलिंग की अनुमति दी जाती है तो इसमें भी पूर्व प्रवेशित छात्र शामिल हो सकता है ।

2.8.8 छात्र द्वारा आबंटन/प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी के नियम -

1. काउंसिलिंग के दौरान प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व अपना प्रवेश रद्द करवाने पर रू. 1000/- की कटौती संबंधित संस्था द्वारा करने के पश्चात् शेष राशि संबंधित संस्था द्वारा वापस की जायेगी।

2. प्रवेश की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर प्रवेश तिथि से निरस्त की तिथि तक शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क तथा विकास शुल्क (Tuition & Other Fees and Development Fees) की मासिक आनुपातिक राशि की कटौती संस्था द्वारा की जायेगी एवं शेष राशि अभ्यर्थी को संस्था द्वारा वापस की जायेगी। कॉशन मनी पूरी वापस की जायेगी ।

कटौती की जाने वाली फीस की गणना निम्न फार्मूला से की जायेगी :

Deductable Fees = No. of admitted months * Total fees/ No. of months in a Semester as declared by University

फीस में शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क सम्मिलित हैं। प्रत्येक माह को 31 दिवस के गुणांक में माना जायेगा। यदि उससे अधिक दिवस होता है तो उसे एक माह के बराबर माना जायेगा।

3. प्रवेश निरस्त कराने/होने पर फीस वापसी के मामले में शिकायत प्राप्त होने पर फीस विनियामक समिति के निर्णय/निर्देशों के अनुसार कार्यवाही होगी ।

2.8.9 **संस्था स्तर की काउंसिलिंग :**
ऑन लाईन काउंसिलिंग की अधिकतम 3 चरण करने के पश्चात् भी यदि संस्थाओं में सीटें रिक्त रह जाती है और यदि सक्षम अधिकारी के राय में इसके पश्चात् संस्था स्तर की काउंसिलिंग कराये जाने की आवश्यकता हो तो प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व संस्था स्तर की काउंसिलिंग की अनुमति दी जा सकेगी । संचालनालय से बिना पूर्व अनुमति के संस्था स्तर की काउंसिलिंग नहीं की जा सकेगी । संस्था स्तर की काउंसिलिंग विभिन्न संस्थाओं द्वारा इस हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर तथा रिक्त सीटों की जानकारी देकर करनी होगी । किसी संस्था में उपलब्ध रिक्त सीट पर अन्य संस्थाओं के छात्र भी शामिल हो सकते हैं ।

2.8.10 **प्रवेश की अंतिम तिथि** : एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में सत्र 2016-17 में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2016 निर्धारित की जाती है।

2.9 संचालनालय/संस्था द्वारा आबंटन/प्रवेश निरस्त करना-यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है, या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवार को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संचालनालय/संस्था प्रमुख द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संचालक, तकनीकी शिक्षा, रायपुर द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.10 अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

2.11 छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

2.13 शिक्षण शुल्क- ‘‘छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008’’ के अंतर्गत गठित की गई ‘‘प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति’’ द्वारा संस्थाओं की सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लिए अंतरिम फीस का निर्धारण किया गया है । इस संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी होना प्रक्रियाधीन है। अतः आदेश जारी होने तक ‘‘प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति’’ द्वारा निर्धारित अंतरिम फीस लिया जायेगा।

विभिन्न संस्थाओं हेतु सत्र 2016-17 के लिये निम्नानुसार अंतिम फीस (Final Fees) निर्धारित है-

S.N.	Name of Institution (For MCA Course)	Total Fee (Per Semester) (Inclusive of Growth & Development charges and All other Miscellaneous Fee) in Rs.
1	Bhilai Institute of Technology, Bhilai House Durg	29900/-
2	Disha Institute of Management & Technology, Raipur	29900/-
3	RSR, Rungta College of Engg. & Technology, Bhilai	29900/-
4	Rungta College of Engineering & Technology, Bhilai	29900/-
5	Shri Shankaracharya Group of Institution (Faculty of Engg.& Tech.)	29900/-
6	Shri Shankaracharya Group of Institution (Faculty of Computer Application)	29900/-

टीप : संस्था में शुल्क नगद जमा नहीं किया जाना है । शुल्क संस्था द्वारा निर्धारित राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते में चालान के माध्यम से, डी.डी., चेक अथवा किसी अन्य बैंकिंग इंस्ट्रुमेंट के माध्यम से ही जमा किये जायें ।

2.14 ट्यूशन फी वेव्हर योजना- Tution Fee Waiver (TFW) Scheme

यह योजना एम.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये लागू नहीं है ।

2.14 रैंगिंग

2.14.1 परिभाषाः- रैगिंग से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उसे क्षति पहुँचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना ।

2.14.2 **रैंगिंग का प्रतिशेध** :- किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा ।

2.14.3 **दण्ड** :-यदि कोई व्यक्ति रैंगिग के प्रतिशेध के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रूपये से अधिक नहीं होगी या दोनों से दंडित किया जा सकेगा । इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा।

2.14.4 **अपराधों का विचारण :-**

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

2.14.5 **छात्र के निष्कासन के लिये निर्योग्यता :-**

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या गिरण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा ।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा ।

ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

2.14.6 **रैगिंग के संबंध में टोल फ्री नंबर 1800 233 9188 पर शिकायत की जा सकती है।**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नीलकंठ टीकाम)
उप सचिव
छ.ग. शासन
कौशल विकास,तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग

सत्र 2016-17

तालिका-1

विभिन्न संस्थानों में एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों का विवरण

Intake of MCA Institution for 2016-17		
S.N.	**Name of MCA Institutions**	**Intake**
1	School of Studies in Computer Science, Pt. RSU, Raipur	60
2	Bhilai Institute of Technology, Bhilai House Durg	60
5	Raipur Institute of Technology, Chhatauna, Mandir Hasuad, Raipur	60
6	RSR, Rungta College of Engg. & Technology, Kohka Kurud Road, Bhilai	48
7	Rungta College of Engineering & Technology, Kohka Road, Kurud, Bhilai	48
8	School of IT, MATS University, Arang, Raipur	60
9	Shri Shankaracharya group of institution faculty of Engineering & Technology, Junwani, Bhilai	108
10	Shri Shankaracharya group of institution faculty of computer aplication, Junwani, Bhilai	60
	Total	**504**

टीप :- स.क्र. - 1 स्कूल ऑफ स्टडीज इन कम्प्यूटर साइंस, रायपुर पं. रविशंकर वि.वि. रायपुर से संबद्ध (affiliated) है । स.क्र. - 8 स्कूल ऑफ आई.टी., मैट्स यूनिवर्सिटी, आरंग मैट्स यूनिवर्सिटी, आरंग, रायपुर से संबद्ध (affiliated) है । शेष सभी संस्थायें की संबद्धता (affiliation) छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU), भिलाई से है ।

तालिका-2

विश्वविद्यालयीन संस्थान (SOS.Pt. R.S.U.Raipur, पंडित रविशंकर शुक्ल विवि, रायपुर) के एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षित सीटों का विवरण

क्र.	संस्था का नाम	कुल सीट	UR			SC			ST			OBC		
			F	Op	PWD	F	Op	PWD	F	Op	PWD	F	Op	PWD
1-	SOS.Pt. R.S.U. Raipur.	60	8	16	1	2	5	0	6	12	1	3	6	0

संक्षेपाक्षरों के विस्तारित नाम

UR - Un reserved SC - Scheduled Caste ST - Scheduled tribe

OBC - Other Backward Category (Excluding Creamy layer)

F - Female, Reserved for female Candidates only

Op - Open for both Male & Female

PWD - PWD (Person with Disability)

टिप्पणी :-

उपरोक्त सीटें वर्ष 2015-16 के आधार पर हैं । वर्ष 2016-17 में इन संस्थाओं/सीटों की संख्या में परिवर्तन संभावित है एवं नई संस्थायें संभावित है। संस्थाओं में प्रवेश अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की अनुमति एवं छ.ग स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के संबद्धता के उपरांत ही दिया जा सकेगा। सीटों की संख्या में परिवर्तन का अधिकार राज्य शासन के पास सुरक्षित है तथा उसमें आरक्षण भी तत्समय लागू नियमों के अनुसार होगें।

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

(नियम 2.5.1)

अनुभाग .... जिला .... छत्तीसगढ़ पुस्तक क्रमांक ....प्रमाण पत्र क्रमांक ....
प्रकरण क्रमांक ....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....पिता/पति का नाम .... निवासी ग्राम/नगर ....पटवारी हल्का नं. .... वि.खं. .... तहसील ....जिला .... संभाग .... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति /जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ....जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक... पर अंकित है अतः श्री/सुश्री .... पिता/पति का नाम .... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री .... के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये .... है ।

दिनांक- ....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

प्रारूप-2

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्ग
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र
(नियम 2.5.1 देखें)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग .... जिला .... छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक .... प्रमाण पत्र क्रमांक ....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....आत्मज श्री .... निवासी ग्राम ....जिला संभाग .... छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो .... जाति के हैं, जिसे पिछडा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा- वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री .... और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला .... संभाग .... में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक .... को प्रवजन कर चुका है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री... क्रीमी लेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्णो की प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र क्रमांक 360/2132/93/स्था.(एस.सी.टी.)दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची में कालम -3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम (3)में किया गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये .... है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

प्रारूप-3

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

(नियम 2.6.2)

क्रमांक .... दिनांक................................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....आत्मज/आत्मजा/पत्नी ....

निवासी..तहसील .... व जिला..................................

छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है, क्योंकि वह

1/ निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :-

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।

2. (क) वह,

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई -

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैद्य अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।

3. उसके पालकों में से कोई भी :-

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षो से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं ।

परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है ।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है ।

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों अर्थातः-

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा.

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा ।

(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा,

2/ उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगेः-

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/ अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान ।

3/ उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर ....

पदनाम एवं सील

प्रारूप –4

छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों व छत्तीसगढ़ के
स्थानीय शासनों के कार्मिकों संबंधी प्रमाण-पत्र
(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक.................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी का नाम) जो एम.सी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश का/की अभ्यर्थी है श्री/सुश्री...
(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का की/संतान है,

(क) जो छत्तीसगढ़ शासन के ....विभाग में............................पद पर....................तिथि से पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक हैं ।

अथवा

(ख) जो छत्तीसगढ़ शासन के ....विभाग में ....पद पर पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक थे ओर...तिथि से इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए ।

स्थान.............................
दिनांक...........................

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष के
हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा

प्रारूप-5

भारत सरकार अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों के छत्तीसगढ़ में पदस्थ
कार्मिकों के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र
(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमॉक.................................... दिनॉक..................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी का नाम) जो एम.सी.ए. प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है, श्री/सुश्री.. (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का/की/संतान है, जो...तिथि से छत्तीसगढ़ में स्थित इस कार्यालय.......................... स्थान.......................................जिला.. में..पद पर पदस्थ हैं जो भारत सरकार के.. विभाग..

अथवा

भारत सरकार के ....सार्वजनिक उपक्रम

अथवा

भारत सरकार के ....अर्धशासकीय निकाय का/की कार्मिक है ।

स्थान...

दिनॉक..

....
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा

प्रारूप-6

छत्तीसगढ़ में पुनर्वास स्थापन संबंधी प्रमाण पत्र

(नियम 2.6.2)

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक....................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संचालित Pre-MCA - 2014...............................वर्ष............ के आधार पर एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है। श्री/सुश्री .... का/की/संतान है, जो.. योजना के तहत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना है ।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर

कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

प्रारूप–7

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र

(नियम 2.5.4)

संदर्भ क्रमॉक...................... दिनॉक....................................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी का नाम) जो एम.सी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री/सुश्री.. (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) की संतान है जो जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित हैं ।

स्थान..

दिनॉक..

....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

प्रारूप–8

छत्तीसगढ़ के कार्मिक जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई हो की संतान हेतु प्रमाण पत्र

(नियम 2.5.4.2)

संदर्भ क्रमॉक.................................... दिनॉक.......................प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...(अभ्यर्थी का नाम) जो एम.सी.ए. प्रथम वर्ष में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित अभ्यर्थियों की स्थानों के विरूद्ध प्रवेश का अभ्यर्थी है, के पिता/माता श्री/सुश्री...छत्तीसगढ़ के कार्मिक हैं जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु पदस्थ हैं जिनकी पदस्थापना दिनॉक.............................से दिनॉक...................... तक ....(स्थान का नाम) जिला...में रही है ।

स्थान..

दिनॉक..

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

शासन में विभागाध्यक्ष

अधिकारी के हस्ताक्षर, पद एवं विभाग का नाम

Important Information of MCA Colleges					
S.no.	**InstituteName**	**Phone**	**Principal name**	**Contact No**	**New Email**
1	**School of Studies in Computer Science, Pt. RSU, Raipur**	**0771 - 2262658**	**Dr. Sanjay Kumar**	0771 - 2262658	**rsuplacement@gmail.com**
2	**Bhilai Institute of Technology, Bhilai House Durg**	**0788-2323997**	Dr. Arun Arora	9425555770	**durgbit@gmail.com,principal@bitdurg.ac.in, chandubhamkar@yahoo.com**
3	**RSR, Rungta College of Engg. & Technology, Kohka Kurud Road, Bhilai**	**0788 - 6459564**	**Sanjay Rungta**	**9229155511**	**info@rungtacolleges.com**
4	**Rungta College of Engineering & Technology, Kohka Road, Kurud, Bhilai**	**0788 - 6666666**	**Sonal Rungta**	**9229155566**	**rcet@rungta.ac.in**
5	**School of IT, MATS University, Arang, Raipur**	**0771 - 4078994**	**Dr. Ranjana Vyas**	**9406054819**	**info@matsuniversity.ac.in**
6	**Shri Shankaracharya Technical Campus Shri Shankaracharya Group of Institutions,(Faculty of Engineering and Technology),SSCET Junwani, Bhilai**	**0788 - 2291605**	**Dr. P B Deshmukh**	**9893369869**	**ssgi@ssgi.edu.in**
7	**Shri Shankaracharya Technical Campus Shri Shankaracharya Group of Institutions, (Faculty of Computer Application), SSGI, Junwani, Bhilai**	**0788 - 3209098**	**Dr. M.M.Singh**	**9893264008**	**ssgi@ssgi.edu.in**
8	**Raipur Institute of Technology, Chhatauna,Mandir Hasuad,Raipur**	**0771 - 3208842**	**MR SHAILENDRA JAIN**	**9329773030**	**admission@rit.edu.in**